

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :-88 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 86 / 2026

1. कुलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति तरखान निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया।
2. संदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति तरखान निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया।

-वादी

बनाम्

1. गुरमेल सिंह पुत्र धन्नासिंह जाति तरखान निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री आशिष नेहरा एडवोकेट व.मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 श्री रविन्द्र कुमार एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक नं. 4 एस.टी.पी. के जं.सं. 2070-2073 खाता सं. 31/23 में 0.253 है. व इसी चक के खाता सं. 32/65 में 0.949 है. व खाता सं. 29/64 में 0.632 है. भूमि का वादी सं. 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव चक नं. 4 एस.टी.पी. के जं.सं. 2070-2073. खाता सं. 30/22 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से वादी संख्या 2 को 1.834 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उक्त. खातो से प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम/नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट :- यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन नहीं हो तो उक्तानुसार अमल दरामद कर दिया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।
बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.5.2026 को जारी किया



(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया